

प्रलेप-2

ग्राम:
ई-मेल-

फोन:
फैक्स:

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर

संख्याक: १३४७१-ग्रामिता / ५७६/२०३-१४
प्रबन्धक,

तारीख: १७-३-२०३

जे०पी०एस० पब्लिक स्कूल,
मोरना वि०ख० मोरना- मुजफ्फरनगर।

विषय:- नि॒शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये नि॒शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2001 के नियम 15 के उपनियम(4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।
महोदय / महोदया,

आपके तारीख 30.10.2012 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं, मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 29.06.2013 में लिए गये निर्णय के अनुक्रम में श्री अशोक कुमार शर्मा, खण्ड शिक्षा अधिकारी, जानसठ, मुजफ्फरनगर के पत्रांक: 348 / 2013-14 दिनांक 12.07.2013 द्वारा प्रस्तुत आख्या के आधार पर जे०पी०एस० पब्लिक स्कूल मोरना वि०ख० मोरना- मुजफ्फरनगर को तारीख 29.06.2013 से तारीख 28-06-2016 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्री-प्राइमरी कक्षा से जूनियर हाईस्कूल तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता है।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैं:-

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय नि॒शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2001(उपाधि 2) के उपबंधो का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा 1-में (या यथास्थित, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-हीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि॒शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- 4- पैरा 3 से निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को उसी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

Mohin 'S'

Manager
J.P.S. Public School
Morna (Muzaffarnagar)

Principal

J.P.S. Public School
Morna, Muzaffarnagar

- (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
- (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।
- (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
- (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (v) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1)के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
- (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और।
- (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा।
- अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	3630 वर्गमी0
कुल निर्मित क्षेत्रफल	783 वर्गमी0
क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल	2847 वर्गमी0
कक्षाओं की संख्या	14 कक्ष
प्राध्यापक—सह—कार्यालय—सह—भांडागार के लिए कक्ष	है।
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	है।
पेयजल सुविधा	है।
मिड-डे—मील पकाने के लिए रसोई	है।
बाधारहित पहुंच	है।

Mohni's
Manager
J.P.S. Public School
Morna (Muzaffarnagar)

Fayyaz Hussain
Principal
J.P.S. Public School
Morna, Muzaffarnagar

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपरकरों/पुस्तकालय

की उपलब्धता

है।

- 9— विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
- 10—विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- 11— विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12— रक्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 13—विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 14—आपके विद्यालय को आंवटित मान्यता कोड संख्यांक M-10/2013 है। कृप्या इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15—विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी केवल अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
- 16— सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।
- 17—संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

K.K.Singh
(कौस्तुभ कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुजफ्फरनगर।

Mohd. S.
Manager
J.P.S. Public School
Morna (Muzaffarnagar)

Rajesh
Principal
J.P.S. Public School
Morna, Muzaffarnagar